लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनटीसी/ए/70/प्रशा.स्थानां./2019/352 भोपाल, दिनांक 5/8/2019

प्रति,

(1) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– स्थानांतरण नीति 2019–20 के अन्तर्गत जिला एवं संभाग स्तर से होने वाले प्रशासनिक स्थानांतरण के संबंध में।

:: 00 ::

स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2019–20 के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की आदेश जारी किये जा चुके है। स्थानांतरण नीति 2019–20 की कण्डिका–2.3 एवं 2.4 के अनुसार पोर्टल के माध्यम से जिला एवं संभाग स्तर पर किये जाने वाले प्रशासनिक स्थानांतरण हेतु दिनांक 06.08.19 से 10.08.19 तक किये जा सकेगें। इस हेतु एज्यूकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक को लिंक उपलब्ध करा दी गई है, जिसका विस्तृत विवरण (यूजर मैन्युअल) पोर्टल के हेल्प मैन्यु पर उपलब्ध है। तद्नुसार निम्नानुसार संवर्ग के प्रशासनिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाए :–

- स्थानांतरण नीति 2019–20 की कण्डिका–2.3 के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्रधानाध्यापक (प्रावि)/उ.श्रे.शि./माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/ खेलकूद शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक/ग्रंथपाल (राज्य स्तरीय शैक्षणिक कैडर को छोड़कर) के जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किए जाएगें।

- स्थानांतरण नीति 2019–20 की कण्डिका–2.4 के अनुसार प्रधानाध्यापक (मावि)/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक/क्षेत्रीय ग्रंथपाल/ग्रंथपाल/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/योजना अधिकारी के जिले के अन्दर एवं संभागान्तर्गत अन्तर्जिला स्थानांतरण संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जारी किए जाएगें।

Scanned by CamScanner

उल्लेखित स्थानांतरण नीति की कण्डिका अनुसार जिला एवं संभाग स्तर पर आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण की कार्रवाई निर्देशानुसार समय–सीमा में पूर्ण कराई जाना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र. / एनटीसी / ए / 70 / प्रशा.स्थानां. / 2019 / 353 भोपाल, दिनांक 5/8/2019

प्रतिलिपि :–

- निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, विन्ध्यांचल–भवन, भोपाल।
- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विन्ध्यांचल–भवन, भोपाल।
- श्री सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर, स्थानीय की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।

आयुक्त 5/8/19
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

जिला अंतर्गत स्वैक्षिक/प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश हेतु मेनुअल

सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी अपने लॉग इन से एजुकेशन पोर्टल पर लॉग इन करें |

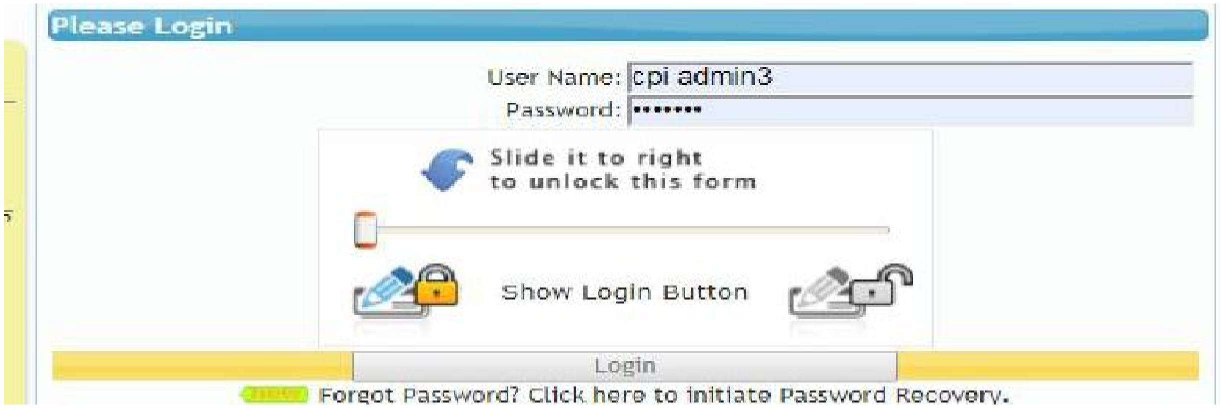

सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी अपने लॉग इन से एजुकेशन पोर्टल पर लॉग इन करें | Main Menu **में प्रदर्शित** Teacher Transfer **मेनू पर क्लिक करें |**

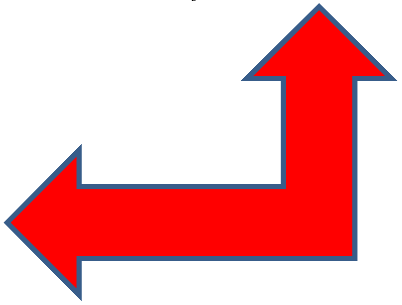

जिला अंतर्गत स्वेक्षिक/प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश हेतु मेनुअल

Administrative Transfer Menu अंतर्गत प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रकरण दर्ज करने हेतु मेनू का चयन करें |

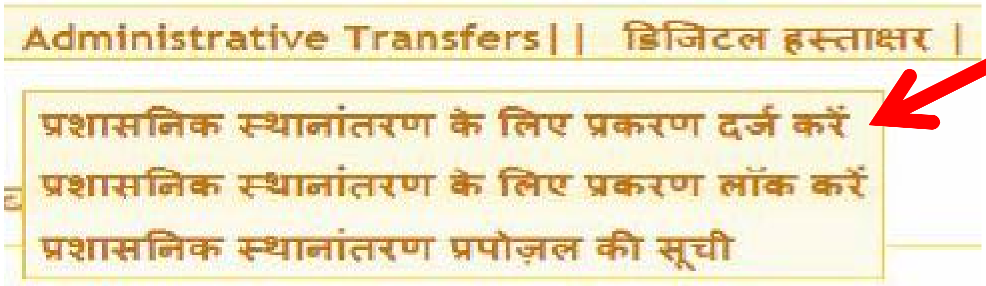

स्तानांतरण हेतु आवेदक की यूनिक आई डी एवं रिक्ति कोड डालें रक्ति कोड हेतु vacancy menu में जाकर जिला एवं ब्लाक अंतर्गत रिक्ति का कोड ज्ञात कर एंट्री करें |

नोट:- रिक्ति कोड केवल उस संस्था का ही डालें जिसमे पद रिक्त है |

जिला अंतर्गत स्वेक्षिक/प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश हेतु मेनुअल

सभी जानकारी का मिलान कर रिमार्क में प्रशासनिक स्थानांतरण का चयन कर प्रकरण को दर्ज करें | नोट:- प्रकरण दर्ज होने के उपरांत कोई भी संसोधन नहीं होगा |

प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रकरण दर्ज करें

आवेदक का यूनिक आई डी:	[redacted]	रिक्ति कोड :	523651

स्कूल / ऑफिस जिसमे कार्यरत है .

आवेदक का नाम:	[redacted]	लिंग:	Female
जन्मतिथि:	19/01/1972	शाला:	23040305018 - Govt. HSS Palai
जिला:	GWALIOR	विकासखंड:	GHATIGAON

स्कूल / ऑफिस मे रिक्तियां की जानकारी

जिला:	GWALIOR	विकासखंड:	MORAR(URBAN)
शाला:	NEW Govt. HSS Girls Sikander Kampoo	पैनल:	SSS-1 Economics
रिक्तियाँ:	1	रिमार्क:	--Select Remarks--

Please enter the code shown above

प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रकरण दर्ज करें

जिला अंतर्गत स्वेक्षिक/प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश हेतु मेनुअल

प्रकरण दर्ज करने के उपरांत प्रकरण को लॉक करने हेतु प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रकरण लॉक मेनू का चयन करें |पदनाम एवं जिले का चयन करने के बाद जानकारी प्राप्त करें | जानकारी में सभी दर्ज प्रकरणों की सूचि प्रदर्शित होगी |

प्रशासनिक अनुमोदन हेतु सूचि प्राप्त करें | अनुमोदन उपरांत लॉक करने हेतु प्रकरणों को चेक लगाकर लॉक करें |

लॉक की गयी सूचि के मिलान हेतु प्रशासनिक स्थानांतरण प्रपोसल की सूचि मेनू से करें | तदोपरान्त आदेश डिजिटल sign कर जारी करें |

नोट:- प्रकरण लॉक होने के उपरांत कोई भी संसोधन नहीं होगा |